

क्रमांक 3323269/01/2012/ 1124

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसीनगर,
भोपाल-462003

दूरभाष- 2552646, 2552878 फैक्स-0755 2552406

E.Mail:- encwrbpl.mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 24/05/2017

कार्यालयीन-आदेश

म0प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008 नियम/चार दिनांक 24 जनवरी-2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008 17.9.2008, 24.09.2008 तथा दिनांक 07.11.2009 में निहित प्रावधान के अनुसार गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर श्री आर. एस. कुशवाहा अनुरेखक को तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 9300 + 34800 + ग्रेड पे रु. 3200/- की स्वीकृति उनके नाम के समक्ष दर्शाई तिथि से प्रदान की जाती है -

स. क्र.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	सौधी मती/संवर्ग में नियुक्ति का दिनांक	30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने का दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावशील होने का दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री आर. एस. कुशवाहा अनुरेखक	17.12.1984	16.12.2014	17.12.2014

सामान्य शर्तें -

- 1 समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 23.03.2009, एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा । वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे ।
- 2 समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।

Rajiv Kumar 24.05.17
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पू.क्रमांक 3323.269/01/12 / 1125-

भोपाल दिनांक 24/5/2017

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता चंबल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग भोपाल ।
 - 2 अधीक्षण यंत्री,
 - 3 कार्यपालन यंत्री
 - 4 निज सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।
 - 5 संबंधित श्री आर.एस.कुशवाहा अनुरेखक द्वारा स.क.01
 - 6 बैंक मैनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जाँच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाय ।

24/5/17
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता